मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(सी–2, साउथ सिविल लाईन्स)

जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन क्रमांक– 244/परीक्षा/2016 जबलपुर, दिनांक–23/05/16

ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि – 17 जून, 2016

मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) की तिथि – 17 जुलाई, 2016

भारतीय नागरिक और भारत शासन, द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार जो नीचे दिये गये अनुसार योग्यता/पात्रता रखते हैं, उनसे मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती नियम, 2007) के अंतर्गत जिला विधिक सहायता अधिकारी के निम्न रिक्त पदो के लिये, **वेतनमान 9300–34800 एवं ग्रेड–पे 4200** में (छठवें वेतनमान के अनुसार) निर्धारित प्रपत्र में केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	श्रेणी	**(अ)** कुल रिक्त पदों की संख्या	**(ब)** कॉलम (अ) में कुल रिक्त पदों में से **महिलाओं** के लिए आरक्षित पदों की संख्या
अ	अनारक्षित पदों की संख्या	**04**	**01**
ब	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या	**01**	**00**
स	अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या	**01**	**00**
द	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या	**01**	**00**
योग :–		**07**	**01**

नोट :–(1) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, वे अनारक्षित श्रेणी के ही माने जावेंगे भले ही वे अपने प्रदेश में किसी श्रेणी में आते हों और वे तद्नुसार आवेदन अनारक्षित श्रेणी के रूप में ही भरें ।

(2) अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनाँक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने पर नियमित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

खण्ड "अ"

1. **कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ।**
2. **आवेदन पत्र, विज्ञापन दिनांक से दिनांक 17.06.2016 को रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।**
3. **आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को दिनांक 20.06.2016 को रात्रि 11.59 बजे तक सुधारा जा सकता है।**

परीक्षा–शुल्क और पोर्टल शुल्क–

अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए रूपये 600/– एमपीऑनलाईन को देय पोर्टल शुल्क एवं रूपये 200/– परीक्षा शुल्क अर्थात् ₹ 600+200 = ₹ 800/–(आठ सौ रूपये) तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/विकलांग आवेदकों के लिए एमपीऑनलाईन को देय पोर्टल शुल्क ₹ 600/– (छः सौ) एवं परीक्षा शुल्क ₹ 100/– अर्थात् ₹ 600+100= ₹ 700/–(सात सौ रूपये) देय होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कार्य किया जाता है तो सुधार कार्य के लिए अभ्यर्थी द्वारा एमपीऑनलाईन को ₹ 50/– (पचास) प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। यदि उक्त राशि से अधिक की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूरभाष क्र. (0755) 4019400–10

ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :–

आवेदन पत्र वेबसाईट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये www.mponline.gov.in पर Authorized Kiosk list Link देखें । आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः–

आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम [नागरिक सेवाऐं] पेज में क्लिक करें इसके बाद MP High Court के Logo पर Click करें तत्पश्चात् Application Services में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए दी हुई link पर click करें ।

आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले Advertisement को क्लिक कर, दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरान्त ही Online Apply करने के लिए Form को क्लिक करें। इसके उपरान्त आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियाँ सही–सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना **नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित** अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के Link (प्रारूप हेतु इस

लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरान्त उक्त फारमेट को स्केन कर .jpg फारमेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें। इसके उपरान्त जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो एवं हस्ताक्षर सेलेक्ट कर अटैच करें ।

आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरान्त Submit बटन दबायें। इससे आवेदक को एक **आवेदन फार्म नम्बर** प्राप्त होगा। इसके उपरान्त आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to Payment बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे ।

1– क्रेडिट/डेबिट कार्ड।

2– इंटरनेट बैंकिग।

3– **क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** :– आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरान्त कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन सम्बन्धी जानकारी भी अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।**

4– **इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** :– आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग सुविधा से कर सकता है । इसके लिये आवेदक के पास नेटबैंकिग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त Proceed to Payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग आप्शन दिखाई देगा । इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लाग–इन होगा । इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है । सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। **इसका प्रिन्ट अवश्य लें।**

5– **एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि** :– आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर सिटिजन सर्विसेज में जाकर **एप्लीकेशन** में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियॉ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियॉ फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारियॉ सही–सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।**

6– **यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 20.06.2016 रात्रि 11.59 बजे तक संबंधित त्रुटि को एम0पी0ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क (50 रूपये) जमा कर सुधार सकेंगे। परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

7– **यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से** Pay for unpaid Application **लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है । परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।**

8– इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाइ गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम0 पी0 आनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन कमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारियॉ भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से सम्बन्धित समस्त जानकारी अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।**

9– ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं कियें जायेंगे जिन्हे आनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा न करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट :— यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बरों पर तत्काल सम्पर्क करें —

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल— 402026, **फोन (0755) 4019400, 4019430**

खण्ड—"ब"

(I) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवर्ग के पदों हेतु अर्हतायें/पात्रता :—

कोई भी व्यक्ति उक्त पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा, यदि—

1— वह भारत का नागरिक हो ,

2— उसने 01/01/2017 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो ।

अधिकतम आयु सीमा में छूट :—

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार जो कि मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, उन्हे अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

(ब) मध्यप्रदेश शासन के समस्त श्रेणी के अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(स) महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट होगी, परन्तु विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के सम्बंध में अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तक और शिथिलनीय होगी ।

टीपः— (i) यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होने के साथ साथ शासकीय सेवा में हो तो उक्त बिन्दु क्रमांक—अ के अन्तर्गत लाभ मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष की रहेगी ।

(ii) उपर्युक्त कण्डिका में उल्लेखित आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्सम्बंधी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही देय होगी ।

3— वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि धारित करता हो ।

4— वह अच्छे चरित्र और अच्छे स्वास्थ्य का हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जो उसे ऐसे पद के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो ।

(II) निरर्हतायें/अपात्रता :—

(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो—

(क) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(ग) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(घ) जिसने विवाह के लिये नियत न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ङ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

(2) किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी साधनों के समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिये उसकी निरर्हता माना जा सकेगा ।

(3) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

(4). चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

(5). परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(6). परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(7). परीक्षा कक्ष में मोबाईल, पेजर, लैपटॉप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित है यदि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में इन उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी एवं भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने नहीं दिया जावेगा।

(8). परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(9). आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर), जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो ।

परीक्षा में प्रवेश के लिये किसी अभ्यार्थी की पात्रता के बारे में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(IV) **परीक्षा की योजना** :– यह परीक्षा दो चरणों में होगी :–

(अ) मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) **(ब)** साक्षात्कार

(अ) मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) (200 अंक) :– ऑनलाइन परीक्षा, एम.पी. ऑनलाइन के द्वारा अपने पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से **दिनांक 17/07/2016 को समय 10:00 बजे दिन से 1:00 बजे दोपहर** तक **जबलपुर मुख्यालय** के विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी ।

1. <u>प्रवेश पत्र</u> :– प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाईन द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया जावेगा जिसका प्रिन्ट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा । प्रवेश पत्र का प्रिन्ट एम.पी. आनलाईन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in) के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिन्ट आउट की सुविधा परीक्षा दिनांक से 10 दिवस पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

2. <u>मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) का पाठ्यक्रम</u> :– ऑनलाइन प्रश्न पत्र में 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होंगे। जिन्हे 3 घन्टे की समयावधि में हल करना होगा। निर्धारित पाठ्यक्रम अनुपातिक अंकों के साथ निम्नानुसार है :–

(A) Law - 140 Questions **Prescribed Marks : 140**

Comprising of - ***No. of Questions***

(1) **Constitution of India** 10

- Part-III : Fundamental Rights
- Part-IV : Directive Principles of State Policy
- Part-IVA : Fundamental Duties

(2) <u>Civil Procedure Code-1908</u> 10

- Section-89 : Settlement of Disputes Outsides the Court
- Order X : Rule 1-A, Rule1-B & Rule 1-C
- Order XXXIII : Suits By Indigent Persons
- Order XLIV : Appeals By Indigent Persons

(3) <u>Indian Penal Code, 1860</u> 10

- Chapter-II : General Explanations
- Chapter-III : Of Punishments :
- Chapter-IV : General Exceptions :
- Chapter-VIII : Of Offences Against The Public Tranquility
- Chapter-XVI : Of Offences Affecting the Human Body
- Chapter-XVII : Of Offences Against Property
- Chapter-XX : Of Offences Relating to Marriage
- Chapter-XXA : Of Cruelty By Husband or Relatives of Husband

(4) <u>Criminal Procedure Code, 1973</u> 15

- Chapter-IX, Sec.-125 : Order for Maintenance of Wives, Children and Parents
- Chapter- XXIA, Sec.-265A to 265L:Plea Bargaining
- Chapter-XXIV, Sec.-303 : Right of Person Against Whom Proceedings are instituted to be Defended.
- Chapter-XXIV, Sec.-304 : Legal Aid to Accused at State Expense in Certain Cases.
- Chapter-XXIV, Sec.-320(1)(2) : Compounding of offences with M.P. State Amendments.
- Chapter-XXIV, Sec.-321 : Withdrawl from Prosecution
- Chapter-XXVII, Sec.-357 : Order to pay Compensation
- Chapter-XXVII, Sec.-357A, 357B & 357C : M.P. Victim Compensation Scheme-2015, Compensation to be in addition to fine under Sec. 326A or Sec. 376D of Indian Penal Code & Treatment of Victims.

(5) Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 5

(6) Dowry Prohibition Act, 1961 5

(7) Protection of Women from Domestic Violence 5

	Act, 2005 & Rules, 2006	
(8)	Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994	5
(9)	Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012	5
(10)	Motor Vehicle Act, 1988 Section – 140, 163, 163A & 166	5
(11)	Family Courts Act, 1984	5
(12)	Hindu Law & Muslim Law	10
(13)	Arbitration & Conciliation Act, 1996	5
(14)	Gram Nyayalayas Act, 2008	5
(15)	Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007	5
(16)	M.P. Crime Victim Compensation Scheme, 2015	5
(17)	The Legal Services Authority Act, 1987 and Related Rules & Regulations	30

- The Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 30 of 1987)
- M.P. Legal Services Authority Rules,1996
- M.P. Legal Services Authority Regulations, 1997
- Lok Adalat Scheme, 1997
- Instructions to Organise Permanent and Continuous Lok Adalat Under Lok Adalat Scheme, 1997
- Civil Procedure - Mediation Rules, 2006
- Legal Literacy Camp, Scheme 1999
- Paralegal Volunteers Scheme
- National Legal Services Authority (Legal Aid Clinic) Regulations, 2011
- Schemes of State Legal Services Authority
- Schemes of National Legal Services Authority

(B)	**General Studies & Social Science –30 Questions.**	**Prescribed marks:**	**30**
(C)	**Computer & General English – 30 Questions.**	**Prescribed Marks:**	**30**

(V) **मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) प्रक्रिया :–**

(1) ऑनलाइन परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में दिनांक 17.07.2016 को एक ही सत्र में आयोजित की जावेंगी। ऑनलाइन परीक्षा हेतु 200 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प होंगे जिनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थी/परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न करने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले पृष्ठ पर वापस जा सकेगा । मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) के पूर्ण होने पर अभ्यर्थी द्वारा दिये गये प्रश्न पत्र के उत्तरों को सील/सब्मिट (Seal/Submit) करना होगा। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन दिये उत्तर/विकल्प में नहीं किया जा सकेगा। इस परीक्षा हेतु **प्रश्न पत्र हल करने की समय–सीमा 180 मिनिट यानि 3 घंटे की होगी । इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग सिस्टम रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर 0.25 अर्थात 1/4 अंक काटे जावेंगे।**

(2) आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर **Mock Test (मॉक टेस्ट) (परीक्षा अभ्यास)** की सुविधा उपलब्ध रहेगी एवं यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् शुरू हो जायेगी।

(3) आवेदकों की संख्या में वृद्धि होने पर परीक्षा केन्द्रों की संख्या एम.पी. ऑनलाइन द्वारा बढ़ाई जा सकती है तथा आवेदकों की संख्या कम होने पर परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम की जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद एम.पी. ऑनलाइन के द्वारा आवेदकों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन प्रदान किया जायेगा। जिसे आवेदकों को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालना होगा और परीक्षा के दिन उसे साथ लाना होगा।

(5) आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा और उसके पहचान के सत्यापन के पश्चात् ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। **फोटो कापी एवं डुप्लीकेट पहचान पत्र मान्य नहीं होंगे।**

(6) प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक–एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को यूजर आई.डी. के स्थान पर अपना एप्लिकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्म तिथि डालनी होगी।

(7) इसके पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर/विकल्प दिखेंगे। आवेदक को इन चारों में से किसी एक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सेव कर सकता है। सेव करने के बाद उत्तर में सुधार या परिवर्तन नहीं होगा।

(8) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(9) ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विवरण एम.पी.ऑनलाइन द्वारा अपनी बेवसाइट पर भी दिया जा सकेगा ।

(VI) अनुचित साधन :–

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अन्तर्गत माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से विवर्जित कर दिया जायेगा।

(1) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।

(2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(4) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।

(5) समक्ष अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(6) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी/अधिकारी को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुंचाना।

(VII) परीक्षा सम्बन्धी निर्देश :–

(1) अर्हता से सम्बन्धित समस्त मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना आव यक है।

(2) आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि उसके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा समस्त पत्र व्यवहार में उसके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक समान होना चाहिये। इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

(VIII) परीक्षा (ऑनलाइन) का मूल्यांकन एवं परिणाम :–

(1) परीक्षा होने के उपरान्त मॉडल उत्तर म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in पर उपलब्ध होगा। यदि कोई अभ्यर्थी मॉडल उत्तर के संदर्भ में कोई आपत्ति करना चाहता है तो वह वेबसाइट पर मॉडल उत्तर के प्रकाशन के दिनांक से

07 दिवस के भीतर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के नाम से सम्बन्धित स्त्रोत/दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ स्वहस्ताक्षरित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

ऐसी किसी आपत्ति के किये जाने पर जो कि बिना किसी दस्तावेजों/स्त्रोतों या सबूतों के हो या निर्धारित समयावधि के पश्चात् की गई हो, विचारणीय नहीं होगी तथा बिना कारण बताये ऐसी आपत्ति निरस्त मानी जायेगी । आनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई भी आपत्ति चाहे वह किसी भी आधार पर की गई हो बिना कारण बताये निरस्त मानी जायेगी ।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद हेतु प्रत्येक श्रेणी अन्तर्गत लगभग एक पद के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जायेंगे ताकि सभी वर्गों को समान एवं समुचित अवसर प्राप्त हो। साक्षात्कार हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची www.mponline.gov.in द्वारा अपनी वेबसाईट पर साथ ही म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in पर भी प्रकाशित की जायेगी ।

(3) परीक्षा पूर्ण होने पर यथाशीघ्र **एम0पी0ऑनलाइन द्वारा** साक्ष्ताकार हेतु आवेदन करने के लिए योग्य/सफल पाये गये उम्मीदवारों की सूची **म0प्र0 उच्च न्यायालय व एम0पी0ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जावेगी।** सफल व असफल हुए अभ्यर्थी के प्राप्तांकों की सूचना पृथक से एम0पी0ऑनलाईन की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी उसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कराना होगी।

दस्तावेजों का जमा कराया जाना :– ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम की घोषणा उपरान्त साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों द्वारा 15 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर उसके साथ अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र कक्षा 10वी, 12वी, स्नातक एवं विधि स्नातक की अंकसूची, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित दो–दो प्रतियां परीक्षा सेल प्रशासनिक भवन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.) को भेजना आवश्यक है ।

(ब) साक्षात्कार (25 अंक)

(1) साक्षात्कार बोर्ड द्वारा साक्षात्कार जबलपुर में आयोजित किया जायेगा ।

(2) मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) में सफल परीक्षार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

(3) साक्षात्कार के लिये 25 अंक निर्धारित हैं ।

(4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जावेगा।

(5) साक्षात्कार के समय चयन समिति के समक्ष अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

(6) साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः एवं सत्यापित पठनीय स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(7) साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) में एवं साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको के आधार पर अन्तिम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची मैरिट अनुसार म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर तथा म.प्र. उच्च न्यायालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जायेगी।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी–

अन्तिम चयन सूची प्रकाशित होने से 3 माह की अवधि तक संबंधित अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका संबंधी जानकारी एम.पी. ऑनलाइन से विहित शुल्क अदाकर प्राप्त कर सकेगा ।

चयन एवं अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक जानकारी :–

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जायेगा :–

(1) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया या इसके लिये प्रयास किया हो, या

(2) प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या

(3) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो,या

(4) चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो,या

(5) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो,या

(6) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो,या

(7) परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यर्वहार किया हो, या

(8) आवेदक को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्ही निर्दशों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से सम्बंधित अनुदेशों को छोड़कर), जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(9) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को साक्षात्कार दिनांक तक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(10) परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है ।

(11) पदों की संख्या में कमीं या वृध्दि हो सकती है ।

(12) चयन प्रकिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर/माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को है ।

(13) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्ते पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा ।

(14) आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 07–26/96/अ–प्र/दिनांक 01/08/1996 एवं क्रमांक एफ 7–2/96/अ–प्र/1 दिनांक 12/3/1997 मे दिये गये निर्देशों के अध्याधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के अन्तर्गत विचार में ली जावेगी।

(15) पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नही है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी ।

(16) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक की जानकारी अनिवार्यतः दें ।

(17) परिवीक्षा की अवधि मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती) नियम, 2007 के नियम 10 के अनुसार निर्धारित होगी ।

(18) **प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व तक, जो भी पहले हो, तक ही मान्य होगी।**

यात्रा व्यय का भुगतान :–

जिला विधिक सहायता अधिकारी पद हेतु ऑनलाइन परीक्षा के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। केवल साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आते हों और कहीं सेवारत् न हों, को उनके निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र के शहर तक का आने–जाने का यात्रा व्यय मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन नगद भुगतान वांछित घोषणा पत्र और आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यात्रा वापसी के पूर्व साक्षात्कार पश्चात् किया जावेगा।

परीक्षा सामग्री का विनष्टीकरण :– चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष परीक्षा सामग्री एक वर्ष उपरांत विनष्ट कर दी जावेगी।

(दिनेश कुमार नायक)
सदस्य सचिव